न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

जिला–चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियाँआर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 193/2022 प्रार्थना पत्र दर्ज तिथि:04.10.2022

श्री प्यारचन्द पिता नोला जाति डांगी आयु 46 वर्ष निवासी पिपलिया गदिया तहसील निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौड़गढ़ राज.

.................प्रार्थी

बनाम

1. श्री खेमराज पिता भेरा जाति डांगी आयु वयस्क निवासी पिपलिया गदिया तहसील निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौड़गढ़ राज.
2. श्री तुलसीराम पिता भज्जा जाति डांगी आयु वयस्क निवासी पिपलिया गदिया तहसील निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौड़गढ़ राज.
3. श्री धनराज पिता भज्जा जाति डांगी आयु वयस्क निवासी पिपलिया गदिया तहसील निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौड़गढ़ राज.
4. श्री भवानीराम पिता भज्जा जाति डांगी आयु वयस्क निवासी पिपलिया गदिया तहसील निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौड़गढ़ राज.
5. श्री मांगीलाल पिता भेजा जाति डांगी आयु वयस्क निवासी पिपलिया गदिया तहसील निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौड़गढ़ राज.
6. श्री मोती पिता भेरा जाति डांगी आयु वयस्क निवासी पिपलिया गदिया तहसील निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौड़गढ़ राज.
7. श्री मोहन पिता भेरा जाति डांगी आयु वयस्क निवासी पिपलिया गदिया तहसील निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौड़गढ़ राज.
8. सोहनबाई पिता भेरा जाति डांगी आयु वयस्क निवासी पिपलिया गदिया तहसील निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौड़गढ़ राज.
9. हुडीबाई पिता भेरा जाति डांगी आयु वयस्क निवासी पिपलिया गदिया तहसील निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौड़गढ़ राज.
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौड़गढ़

...............विपक्षीगण

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ता:–श्री मदनलाल चपलोत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:13:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

–:निर्णय:–

निर्णय तिथि : 18.08.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस

उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

प्रकार से है कि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 9 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा पिपलिया गदिया पटवार हल्का कारूण्डा तहसील, निम्बाहेडा की संवत 2077–2080 की खाता संख्या 38 के आराजी नम्बर 202 रकबा 1.29 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 285 रकबा 0.56 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 286 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 287 रकबा 0.66 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 288 रकबा 0.06 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 60 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.64 हैक्टेयर कुल लगानी 55 रूपये 62 पैसा भूमि स्थित है। साक्ष्य मे नकल जमाबंदी पेश की है। प्रार्थी का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है :

उदा		
पुत्र – नोला (फोत) नोला के पुत्र – प्यारा पुत्रियां – प्रभुबाई, डाली, नोजी, अणछी पत्नि – चुन्नीबाई	पुत्र – भज्जा (फोत)	पुत्र – भेरा (फोत)

प्रार्थी के दादा उदाजी थे उदाजी के तीन पुत्र नोला, भज्जा एवं भेरा हुए। उदाजी का देहान्त हो चुका है तथा उदाजी के तीनों पुत्र नौला, भज्जा व भेरा का भी देहान्त हो चुका है। नौला के वारिसान उनका पुत्र प्यारा, पुत्रियां प्रभुबाई, डाली, नोजी, अणछी है तथा बेवा चुन्नीबाई है। इसके अलावा नोला के कोई विधिक वारिसान नहीं है।

2. यह कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात में संवत 2056 से 2059 के जमाबंदी रेकार्ड में राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से उदा, प्रभु, डाली, नोजी, अणछी पिता नोला ना.बा.स.माता चुन्नी बेवा नोला डांगी का नाम अंकित कर दिया गया जबकि उदा नाम का कोई पुत्र नोला के नही था। जिसके बाद प्रार्थी व उसकी बहनों के बालिग होने पर प्रार्थी की बहनों एव माता के द्वारा प्रार्थी के पक्ष में हकत्याग किया गया और हकत्याग के समय उक्त लिपिकीय त्रुटी को दुरूस्त करवा कर रोटेशन के संवत 2060–2063 की जमाबंदी में गोला कर उदा का नाम काट दिया गया जिसका अंकन संवत 2060–2063 की जमाबंदी में किया गया तथा जरिये नामांतरण संख्या 194 दिनांक 21.11.2008 से नोला का सम्पूर्ण हक हिस्सा प्यारचन्द प्रार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया गया, तभी से सम्पूर्ण 1/3 हक हिस्से पर प्यारचन्द प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है, परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती से संवत 2077–2080 की जमाबंदी रोटेशन में प्रार्थी के साथ उदा पिता नोला डांगी 1/6 के रूप में पुनः दर्ज कर दिया गया जबकि उपरोक्त आराजियात में नोला का एक मात्र पुत्र प्यारचन्द है और उसका 1/3 हक हिस्सा है उदा का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाना था और प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करना था जो कि राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से हो गया है। इसलिए नवीन राजस्व रेकार्ड में उदा पिता नोला 1/6 के बजाए प्यारचन्द पिता नोला डांगी 1/3 का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर तरमीम कर इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, तथा उदा पिता नोला डांगी का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी नवीन राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी उदा पिता नोला 1/6 के बजाय प्यारचन्द पिता नोला डांगी 1/3 के रूप में दर्ज कर [illegible] दुरूस्त कर तरमीम किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 13:13:32 IST
Reason: Self Attested

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस तामिल होकर पुनः प्राप्त नहीं [illegible] विपक्षीगणों का कोई हित प्रभावित नहीं हो रहा है। अतः उनका सुना जाना आवश्यक भी नहीं है। भूमिधारी तहसीलदार, निम्बाहेड़ा से प्रकरण में जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को

उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

मात्र दोहराते हुए ग्राम पिपलिया गदिया की जमाबंदी संवत 2077–2080 की खाता संख्या 38 में दर्ज आराजी किता 6 रकबा 2.64 हैक्टेयर भूमि में उदा पिता नोला के नाम दर्ज हिस्सा 1/6 प्रार्थी श्री प्यारचन्द पिता नोला के नाम दर्ज करवाने का निवेदन किया गया। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में अंकित किया गया हैं कि " मौजा पिपलिया गदिया की हाल आराजी नम्बर 202, 285, 286, 287, 288 व 60 कुल किता 6 रकबा 2.64 हैक्टेयर भूमि श्री उदा पिता नोला 1/6, प्यारचंद पिता नोला 1/6 डांगी एवं अन्य सह खातेदारान के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वाद कथन अनुसार मूल खातेदार उदाजी के तीन पुत्र नोला, भज्जा व भेरा होना जाहिर आया है व नोला के वारिसान प्यारा, प्रभुबाई, डाली, नोजी अणछी पिता नोला व पत्नि चुन्नीबाई होना जाहिर आया जो रिकार्ड से भी प्रमाणित हैं जमाबंदी संवत 2031–2034 व 2060–2063 नकले संलग्न है। नोला पिता उदा की विरासत के बाद जमाबंदी संवत 2060–2063 में खाता नम्बर 8 पर उक्त हाल आराजी नम्बर के साबिक आराजी नम्बर 44, 144, 182, 183, 181 किता 5 रकबा 10–09 बीघा में मृतक खातेदार भेरा के वारिसान 1/3 व मृतक भज्जा के वारिसान व नोला के वारिसान में उदा, प्रभु, डाली, अणछी पिता नोला, चुन्नी बेवा नोला डांगी के नाम दर्ज है। इसमें उदा को गोला करके काटा गया हैं तथा नामान्तरण संख्या 194 दिनांक 21.11.2008 हकत्याग से प्रभु, डाली, नोजी, अणछी व चुन्नी के बजाय प्यारचंद पिता नोला का नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई, अमल है। मृतक नोला के पुत्र प्यारचंद का नाम रिकार्ड जमाबंदी में सहवन से उदा दर्ज हुआ हैं वास्तव में उदा, नोला के पिता है जिसे पुत्र का अंकन किया गया है जो सहवन से दर्ज होना स्पष्ट है। नामान्तरण संख्या 194 से भी एकदम स्पष्ट है कि नोला के अन्य वारिसान ने प्यारचंद पिता नोला को हकत्याग किया है। अतः रिकार्ड से स्पष्ट हैं कि नोला पिता उदा का प्रकरण आराजी किता 6 रकबा 2.64 हैक्टेयर में 1/3 हिस्सा था। नोला की विरासत होकर नामान्तरण संख्या 194 से अन्य वारिसान ने प्यारचंद पिता नोला को उनका हिस्सा सम्पूर्ण हकत्याग करने से प्यारचन्द पिता नोला 1/3 दर्ज होना सही है। मौका जांच में भी प्यारचंद, नोला का अकेला पुत्र होकर हकत्याग के बाद उक्त खाता में 1/3 दर्ज होना सही है। उदा पिता नोला ग्राम में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। जो पर्चा मौका मौतबिरान व सह खातेदारान से भी स्पष्ट है। अतः उक्त खाते में उदा पिता नोला 1/6 डांगी का नाम विलोपित किया जाकर प्यारचंद पिता नोला को 1/6 के बजाय 1/3 दर्ज होना रिकार्ड व मौका जांच अनुसार सही है।

4. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***136. Correction of errors.*** *- The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:*
>
> *Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights in the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.*

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Date: 2024.01.06 18:13:32 IST
Reason: SelfAttested

5. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने

उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

6. मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन मनन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर मनन किया गया। विपक्षीगण को तामिल भिजवाई गई किन्तु तामिली रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। प्रकरण में विपक्षीगण का हित प्रभावित नहीं होने एवं प्रार्थी के प्रकरण संबंधी दस्तावेजात प्रकरण में संलग्न होने से विपक्षीगण को सुना जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। ग्राम पिपलिया गदिया की जमाबंदी संवत 2031–2034 में साबिक आराजी नम्बर 44, 144, 181, 182 एवं 183 कुल किता 5 कुल रकबा 10–09 बीघा श्री भेरा, भज्जा, नोला पिता उदा डांगी के नाम दर्ज रिकार्ड थी। ग्राम पिपलिया गदिया की नामान्तरण संख्या 72 से भेरा एवं नोला की विरासत हुई। जिसमें पटवारी हल्का ने नोला के बजाय प्यारा ना.बा. पिता नोला, प्रभु, डाली, नोजी अणछी ना.बा. सरपरस्ती चुन्नी बेवा नोला डांगी का नाम प्रस्तावित किया गया किन्तु जमाबंदी अमल में नोला के बजाय उदा, प्रभु, डाली, नोजी अणछी पिता नोला, चुन्नी बेवा नोला दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी प्यारा का नाम सहवन से हटा दिया। इसमें उदा को नोला का पुत्र बनाया गया है जबकि नोला के उदा नाम का कोई पुत्र नही है तथा उदा, नोला के पिता का नाम है, इस प्रकार गलती होना स्पष्ट होता है। ग्राम पिपलिया गदिया की साबिक जमाबंदी संवत 2060–2063 की खाता संख्या 38 में दर्ज आराजी नम्बर 44, 144, 181, 182, 183 कुल किता 5 कुल रकबा 10–09 बीघा भूमि में उदा, प्रभु, डाली, नोजी, अणछी पिता नोला मु. चुनी बेवा नोला एवं अन्य सह खातेदारान के नाम दर्ज रिकार्ड थे। इसी खाते में नामान्तरण संख्या 194 दिनांक 21.11.2008 का नोट लगा हुआ है जिसमें अंकित है कि " हकत्याग से प्रभु डाली, नोजी, अणछी एवं चुन्नी के बजाय प्यारचन्द पिता नोला का नाम दर्ज किये जाने की स्वीकृति हुई एवं जमाबंदी में उदा के नाम पर गोला कर काटा हुआ हैं। इस प्रकार उक्त खाते में प्यारचन्द पिता नोला का 1/3 हिस्सा होना साबित होता है। मिलान क्षेत्रफल से उक्त साबिक आराजियात किता 5 रकबा 10–09 बीघा के नवीन नम्बर 60, 202, 285, 286, 287, 288 कुल किता 6 कुल रकबा 2.164 हैक्टेयर बने होकर वर्तमान जमाबंदी संवत 2077–2080 की खाता संख्या 3 में उदा पिता नोला 1/6 एवं प्यारचन्द पिता नोला 1/6 एवं अन्य सह खातेदान के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकार्ड है। चूंकि नोला के समस्त वारसान प्रभु, डाली, नोजी, अणछी पिता नोला एवं चुन्नी पत्नि नोला ने अपना सम्पूर्ण हक प्रार्थी श्री प्यारचन्द पिता नोला के नाम हकत्याग कर दिया एवं नामान्तरण संख्या 194 स्वीकृत होकर नोला के हिस्से की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:13:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

सम्पूर्ण 1/3 हिस्से की भूमि प्यारचन्द पिता नोला 1/3 के नाम दर्ज रिकार्ड हो गई थी। अतः सहवन से उदा पिता नोला के नाम दर्ज हिस्सा 1/6 श्री प्यारचन्द पिता नोला के नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि खाते में उदा पिता नोला 1/6 डांगी का नाम विलोपित किया जाकर प्यारचंद पिता नोला को 1/6 के बजाय 1/3 दर्ज होना रिकार्ड व मौका जांच अनुसार सही है। अतः पर्याप्त दस्तावेजीय सबूत एवं तहसीलदार, निम्बाहेडा की अनुशंषा अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 पर्याप्त दस्तावेजीय सबूतों एवं तहसीलदार, निम्बाहेड़ा की अनुशंषा के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है। ग्राम पिपलिया गदिया की आराजी नम्बर 60, 202, 285, 286, 287 एवं 288 कुल किता 6 कुल रकबा 2.64 हैक्टेयर भूमि में उदा पिता नोला 1/6 एवं प्यारचन्द पिता नोला 1/6 डांगी के बजाय प्यारचन्द पिता नोला 1/3 दर्ज किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार, निम्बाहेडा को आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने हेतु लिखा जावे।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 18.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

18/8/23

(रमेश सीरवी पुनाडियॉ)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:13:32 IST
Reason: SelfAttested